आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)

NPS Vatsalya (pension savings account for minors)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे के नाम पर खोला जाने वाला स्वैच्छिक दीर्घकालीन बचत खाता।

क्या मिल सकता है

योगदान PFRDA के पंजीकृत पेंशन फंड में निवेश होता है, इसलिए रिटर्न बाज़ार पर निर्भर है और तय नहीं है। 3 साल बाद बच्चे की शिक्षा, बताई गई बीमारी या 75% से ज़्यादा दिव्यांगता के लिए अपने योगदान का 25% तक आंशिक निकासी हो सकती है।

किसके लिए है

18 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नागरिक। बच्चे के 18 साल के होने तक माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता चलाते हैं।

मुख्य शर्तें

- बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का भारतीय नागरिक हो।
- खोलते समय कम से कम 250 रुपये और हर वित्त वर्ष में 250 रुपये। अधिकतम सीमा नहीं है।
- 18 साल पर बच्चा नया KYC करता है। खाता 21 साल तक चल सकता है, NPS में जा सकता है या नियमों के अनुसार बंद हो सकता है।

दस्तावेज़

- बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, पैन या पासपोर्ट
- माता पिता या अभिभावक का KYC जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी, साथ में पैन या फॉर्म 60
- बैंक खाते की जानकारी, निकासी या निकास के लिए ज़रूरी

आवेदन कैसे करें

1. किसी पंजीकृत पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस जैसे बैंक में जाएं या eNPS पर ऑनलाइन करें।
2. सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी और पेंशन फंड चुनें और बच्चे व अभिभावक की जानकारी KYC के साथ दें।
3. शुरुआती योगदान जमा करें। बच्चे के नाम पर PRAN बनता है।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://www.pfrda.org.in/en/nps-vatsalya
आधिकारिक आवेदन: https://www.pfrda.org.in/en/nps-vatsalya
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nps-vatsalya-minors/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।